न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा जिला जयपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :- श्री सुनील शर्मा, आर ए एस
वाद संख्या :- 26/2018

शीर्षक

1. शान्ति देवी पत्नी स्व0 गिरधारी (फौत) नाम हजफ आ.दि. 17.01.2020
2. दीपक पुत्र स्व0 गिरधारी
3. राजेन्द्र पुत्र स्व0 गिरधारी
4. सोहन पुत्र स्व0 गिरधारी
5. श्रवण पुत्र स्व0 गिरधारी
6. गोपाल पुत्र स्व0 साधूराम
7. रमसी देवी पत्नी गोरधन

समस्त व्यस्क जाति माली, नि0 अमरसर, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर ।

वादीगण

बनाम

1. सेडू पुत्र बिरदू
2. ज्योति देवी पत्नी सुरजमल
3. बलराज पुत्र स्व0 सुरजमल
4. गिरधारी पुत्र स्व0 सुरजमल
5. लक्ष्मी पुत्री स्व0 सुरजमल
6. ममता पुत्री स्व0 सुरजमल
7. गिरधारी पुत्र स्व0 बालू
8. हनुमान पुत्र स्व0 बालू
9. बोदू पुत्र स्व0 बालू
10. महावीर पुत्र स्व0 बालू
11. माली देवी पुत्री स्व0 बालू

समस्त व्यस्क, जाति माली, नि. अमरसर, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर (राज0)

12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील–शाहपुरा ,जिला जयपुर (राज0)

प्रतिवादीगण

दावा बाबत् घोषणा दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा– 88, 188 आर.टी.एक्ट

निर्णय दिनांक: 06.03.2020

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि हाल आ.ख.नं. 1758/0.08, 1759/0.38, 1764/0.33 है0 कुल किता 03 रकबा 0.79 है0 भूमि वाकै ग्राम अमरसर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर में स्थित है। खातेदार सेडू, सुरजा पुत्र बिरदू जाति माली निवासी अमरसर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर ने अपनी खातेदारी भूमि आ.ख.नं. 1758/0.08 है0 में से 0.04 है0 व आ.ख.नं. 1764/0.33 है0 सम्पूर्ण भूमि को बेचान जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 09.11.2006 को वादी सं. 1 लगा0 5 के पूर्वज गिरधारी पुत्र साधूराम व वादी सं. 6 गोपाल पुत्र स्व0 साधूराम व वादी सं. 7 रमसी देवी पत्नी गोरधन के हक में पंजीयन कराया है, विक्रयशुदा उक्त भूमि का खाता आज तक विक्रेता वादीगण के नाम अंकित नही किया गया है तथा खातेदार सूरजा पुत्र बिरदू व बालूराम पुत्र श्योना की मृत्यु हो जाने पर विरासत में उक्त भूमि मुतनाजा की खातेदारी प्रतिवादीगण सं. 2 लगा0 11 के नाम अंकित हो चुकी है। वादीगण के पूर्वज व वादीगण ने अपनी उक्त विक्रीत भूमि के नामान्तरकरण बाबत कई बार निवेदन किया लेकिन प्रतिवादीगण ने उक्त विक्रीत भूमि का नाम वादीगण के नही करवाकर विरासत का नामान्तकरण अपने नाम करवा लिया। वादीगण ने प्रतिवादी सं. 12 को राजस्व केम्प कोर्ट अमरसर में प्रा0पत्र नामान्तकरण खुलवाने हेतू दिया तो प्रतिवादी सं. 12 ने न्यायालय में कार्यवाही करने हेतू निर्देश दिए इस कारण उक्त वादपत्र न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। वादीगण अपनी क्रयशुदा भूमि पर लगातार बिना किसी बाधा के आज तक काबिज काश्त करते चले आ रहे है। प्रतिवादीगण के उक्त विक्रीत भूमि से सारे हक–हकूक समाप्त हो गए है, इस कारण वादीगण को उक्त क्रयशुदा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण 1 लगा0 12 को हमेशा–हमेशा के लिए पाबन्द किया जावे कि वे वादीगण के कब्जे काश्त मे कोई मुजाहमत व दखलान्दाजी पैदा नही करे व शान्तिपूर्वक उपयोग– उपभोग करने देवे।

न्यायालय सहायक कलक्टर (जिला–जयपुर) राज.

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला जयपुर) राज.

Scanned by CamScanner

वाद पत्र पेश होने पर विधिवत दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किया गया। प्रतिवादी सं. 2 लगा0 11 की ओर से श्री अरविन्द कुमार शर्मा अधिवक्ता उपस्थित हुए। प्रतिवादी सं. 1 बाद तामील उपस्थित नही है। इस कारण प्रतिवादी सं. 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई। दिनांक 08.01.2020 को प्रतिवादी सं. 2 लगा0 11 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई । दिनांक 17.01.2020 को वादीया स. 1 का नाम हजफ करने का प्रा0पत्र पेश करने पर स्वीकार किया गया। दिनांक 22.01.2020 का वकील वादी ने साक्ष्यवादी में शपथपत्र व दस्तावेजात पेश किये।

पत्रावली का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया। प्रतिवादी सं0 1 सेडू, प्रतिवादी सं. 2 लगा0 6 व प्रतिवादी सं. 7 लगा0 11 के पूर्वज सूरजा, बालू ने दिनांक 09.11.2006 को आ.ख.नं. 1758 रकबा 0.08 है में से 0.04 है0 व आ.ख.नं. 1764 रकबा 0.33 है0 भूमि गिरधारी, गोपाल पुत्र साधूराम, श्रीमति रमसी पत्नी गोरधन जाति माली नि0 अमरसर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर के हक में विक्रय पत्र पंजीबद्ध कराया है, उक्त विक्रय पत्र का नामान्तकरण नहीं हुआ है अतः वादीगण का दावा स्वीकार योग्य है।

अतः दावा वादीगण के हक मे डिक्री किया जाता है कि आ.ख.नं. 1758 रकबा 0.08 है में से 0.04 है0 व आ.ख.नं. 1764 रक़बा 0.33 है0 भूमि सम्पूर्ण कुल किता 02 रकबा 0.37 है0 भूमि वाकै ग्राम अमरसर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है वे वादीगण के कब्जे काश्त मे किसी प्रकारी की मजाहमत व दखलान्दाजी पैदा नही करे। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 06.03.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

(सुनिल शर्मा)
सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला जयपुर

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

Scanned by CamScanner

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा जिला जयपुर (राजस्थान)

वाद संख्या :– 26 / 2018

शीर्षक

1. शान्ति देवी पत्नी स्व0 गिरधारी (फौत) नाम हजफ आ.दि. 17.01.2020
2. दीपक पुत्र स्व0 गिरधारी
3. राजेन्द्र पुत्र स्व0 गिरधारी
4. सोहन पुत्र स्व0 गिरधारी
5. श्रवण पुत्र स्व0 गिरधारी
6. गोपाल पुत्र स्व0 साधूराम
7. रमसी देवी पत्नी गोरधन

समस्त व्यस्क जाति माली, नि0 अमरसर, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर ।

वादीगण

बनाम

1. सेडू पुत्र बिरदू
2. ज्योति देवी पत्नी सुरजमल
3. बलराज पुत्र स्व0 सुरजमल
4. गिरधारी पुत्र स्व0 सुरजमल
5. लक्ष्मी पुत्री स्व0 सुरजमल
6. ममता पुत्री स्व0 सुरजमल
7. गिरधारी पुत्र स्व0 बालू
8. हनुमान पुत्र स्व0 बालू
9. बोदू पुत्र स्व0 बालू
10. महावीर पुत्र स्व0 बालू
11. माली देवी पुत्री स्व0 बालू

समस्त व्यस्क, जाति माली, नि. अमरसर, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर (राज0)

12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील–शाहपुरा ,जिला जयपुर (राज0)

प्रतिवादीगण

दावा बाबत् घोषणा दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा– 88, 188 आर.टी.एक्ट

निर्णय दिनांकः 06.03.2020

अतः दावा वादीगण के हक मे डिक्री किया जाता है कि आ.ख.नं. 1758 रकबा 0.08 है में से 0.04 है0 व आ. ख.नं. 1764 रकबा 0.33 है0 भूमि सम्पूर्ण कुल किता 02 रकबा 0.37 है0 भूमि वाकै ग्राम अमरसर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है वे वादीगण के कब्जे काश्त मे किसी प्रकारी की मजाहमत व दखलान्दाजी पैदा नही करे। [redacted] पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 06.03.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.

(सुनिल शर्मा)
सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला जयपुर

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. ____ रुपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Sharma
Date: 2020.06.10 11:42:35 IST
Reason: SelfAttested
Location: